[2020] 3 एस. सी. आर. 329

संजय मारुतिराव पाटिल

बनाम

भारत संघ और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 2448 /2010)

जनवरी 24 , 2020

न्यायमूर्तिगण [एल. नागेश्वर राव और एम. आर. शाह, जे. जे.]

सेना अधिनियम, 1950–धारा 63–सेना नियम, 1954–नियम 17– सेवा से समाप्ति–अपीलार्थी को धारा 63 के अंतर्गत आरोपित किया गया– अपीलार्थी ने अपराध स्वीकार किया –सम्मरी सेना न्यायालय ने अपीलार्थी को पंक्ति मे अवनत किया– तत्पश्चात् अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस दिया गया कि सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियम 1954 के नियम 17 के अंतर्गत क्यो न उसे सेना की सेवा से मुक्त किया जाना चाहिए–अपीलार्थी ने उसमें लगाए गए आरोपों से इंकार किया–व्यथित होकर अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत किया, जिसे खारिज कर दिया गया–अपीलार्थी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट याचिका प्रस्तुत किया और उसे भी खारिज कर दिया गया– उच्चतम न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उत्तरदाताओं द्वारा उसे एक ही अपराध के लिए दो बार दंडित किया गया, एक बार सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा सजा सुनाया जाना,उसके बाद सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियम 1954 के नियम 17 के अंतर्गत अपीलार्थी को पदच्युत किया जाना दोहरा दंड होगा,जो अनुज्ञेय नही है – अभिनिर्धारित : अभिलेख पर कुछ भी नही है कि सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिससे अपीलार्थी की पंक्ति अवनत किया गया उसे सेना के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सेना अधिनियम की धारा 164 के अधीन शक्ति का प्रयोग कर पुष्ट किया गया हो– इसलिए, प्रकरण के तथ्य और परिस्थितियों मे– उत्तरदाता क्रमांक–3 द्वारा धारा–20 सहपाठित नियम– 17 के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग किया जाना न्यायोचित थाएकमात्र प्रक्रिया जिसका पालन करना सेना नियम के नियम 17 के अनुसार,आवश्यक है वह यह है कि जिस व्यक्ति को सेवा से पदच्युत करने या हटाने की मांग की जाती है, उसे उसके खिलाफ कार्यवाही किये जाने के कारण के विवरण के बारे में सूचित किया जाता है और उसे उसकी बर्खास्तगी के खिलाफ अपील करने के लिए किसी भी कारण को लिखित रूप में बताने के लिए उचित समय दिया जाता है। –वर्तमान प्रकरण में, अपीलार्थी को ऐसा अवसर दिया गया था, इसलिए, अपीलार्थी को सेवा से पदच्युत करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन किया गया था– जहां तक दोहरे दंड का प्रश्न है, यहाँ यह उल्लेख किया जाना आवश्यक है कि पूर्व में अपीलार्थी पर केवल सेना अधिनियम की धारा 63 के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया था। यद्यपि, आरोपों के विवरण से यह प्रकट हुआ कि अपराधों की प्रकृति कपटपूर्ण थी–तत्पश्चात अपीलार्थी को आवश्यकतानुसार नियम 17 के अंतर्गत आवश्यक अवसर दिये जाने के बाद सेना अधिनियम की धारा 20 सहपठित नियम 17 के अंतर्गत पदच्युत किये जाने का आदेश पारित किया गया था और अधिनियम की धारा 164 के तहत उक्त आदेश की पुष्टि सेना के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा किया गया था– इसलिए धारा 20 के अंतर्गत पदच्युत किये जाने का आदेश और उक्त आदेश का सेना के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा पुष्टिकरण दोहरे दंड के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है

खारिज करते हुए , न्यायालय द्वारा

अभिनिर्धारित : अभिलेख से उभरे तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि पूर्व में अपीलार्थी को समरी कोर्ट मार्शल का सामना करना पड़ा था। यद्यपि, यह उल्लेखित किया जाना आवश्यक है कि सुसंगत समय पर, उपरोक्त चूक/आरोप को कपटपूर्ण की प्रकृति का नहीं माना गया था और अपीलार्थी का उक्त

चूक/आरोप के लिए सेना अधिनियम, 1950 की धारा 63 के तहत सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाया गया था। अभिलेख पर कुछ भी नही है कि सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिससे अपीलार्थी की पंक्ति अवनत किया गया उसे सेना के वरिष्ठ अधिकारी द्वारा सेना अधिनियम की धारा 164 के अधीन शक्ति का प्रयोग कर पुष्ट किया गया हो–इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसके द्वारा अपीलार्थी को पंक्ति से अवनति का दंड दिया गया है, सक्षम प्राधिकारी (वर्तमान मामले में सेना प्रमुख) द्वारा पुष्ट किये जाने पर अंतिम रूप प्राप्त कर लिया था इसलिए, इस न्यायालय द्वारा हरजीत सिंह संधू के मामले में पैराग्राफ 24 से 27 में (विशेष रूप से, पैराग्राफ 27) में की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए सक्षम प्राधिकारी के पास विकल्प था कि वह सेना अधिनियम की धारा 20 सहपठित सेना नियम, 1954 के नियम 17 के तहत शक्तियों का प्रयोग करें सेना प्रमुख में निहित शक्ति और सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत प्रदत्त शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है और जिसके लिए सेना नियमों के नियम 17 के तहत प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है, हालांकि,हरजीत सिंह संधू के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 27 में इस न्यायालय द्वारा अवलोकित किये गये निर्बंधन लागू होंगे सेना प्रमुख में निहित शक्ति और सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत प्रदत्त शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है और जिसके लिए सेना नियमों के नियम 17 के तहत प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है,हालांकि,उक्त उन निर्बंधनों के अधीन होगा जो इस न्यायालय द्वारा हरजीत सिंह संधू के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 27 में अवलोकित किया गया है। इसका अर्थ यह है कि केवल उस मामले में जहां सेना न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने या दोषी नहीं ठहराए जाने का अंतिम फैसला जिसकी पुष्टि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है और जिसने अंतिम रूप प्राप्त कर लिया गया है, धारा 19 सहपठित नियम 14 या धारा 20 सहपठित नियम 17 के तहत कार्यवाही करने की शक्ति उपलब्ध नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, जब तक सेना न्यायालय द्वारा घोषित दोषी होने या दोषी नहीं होने का घोषित अंतिम निर्णय जिसे लागू किये जाने की पुष्टि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं होती है, तब तक धारा 19 सहपाठित नियम 14 या धारा 20 सहपाठित नियम 17 के तहत,जैसा भी मामला हो, अग्रिम कार्यवाही करने की शक्ति होती है और प्रयोग किये जाने हेतु उपलब्ध है। इस लिए मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में और सम्मरी सेना न्यायालय के आदेश, जिसके द्वारा अपीलार्थी को पद से अवनत किया गया था, किसी भी पुष्टि के आभाव में उत्तरवादी क्रमांक 3 द्वारा धारा 20 नियम 17 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना न्यायोचित था। इस स्तर पर यहॉ यह लेख करना आवश्यक है कि सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय सेना नियम के नियम 17 के तहत प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होगा। नियम 17 प्रावधानित करता है कि ऐसे व्यक्ति जिसे सेवा से पदच्युत अथवा हटाया जाता है उसे उसके विरूद्ध वाद कारणों की विशिष्टियों में के बारे में सूचित किया जाएगा और उसे उन कारणों को जिसके आधार पर वह सेवा से पदच्युत किये जाने अथवा हटाये जाने को चुनौती देगा उसे लिखित रूप में प्रस्तुत करने हेतु युक्तियुक्त समय दिया जाएगा। वर्तमान मामले में ऐसा अवसर अपीलार्थी को दिया गया है और इस प्रकार अपीलार्थी को सेवा से पदच्युत किये जाने से पहले सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

[पैरा 7 ॥ 344–एफ; 345–बी – एच; 346– ए – बी]

2. अब जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्क की सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत पदच्युत किये जाने का आदेश दोहरे दंड के सिद्धांत का उल्लंघन है का संबंध है, उपर बताए गए कारणों से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सेना अधिनियम के धारा 20 के तहत सेवा से पदच्युत किये जाने का आदेश दोहरे दंड के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। इसका एक और कारण है यह लेख करना आवश्यक है कि पूर्व में जब अपीलार्थी का सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा विचारण किया गया था उस समय उसका विचारण केवल अधिनियम की धारा 63 के तहत किया गया था जब कि बाद में सेना प्रमुख का विचार था कि आरोपों की विशिष्टियाँ जिसके लिए पूर्व में अपीलार्थी का विचारण सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा किया गया था और जो अधिनियम की धारा 63 के तहत किया गया था, दर्शाता है कि

अपराध कपटपूर्ण प्रकृति का था इस लिए अपराधों को कपटपूर्ण प्रकृति का मानते हुए एवं उस पर विचार करते हुए तथा नियम 17 के तहत अपीलार्थी को आवश्यक अवसर प्रदान करने के बाद और इस बात से संतुष्ट होकर कि अपीलार्थी की सेवा आगे जारी नहीं रखी जा सकती, उत्तरवादी क्रमांक 3 के द्वारा सेना अधिनियम की धारा 20 सहपठित सेना नियम का नियम 17 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करके सेवा से पदच्युत किये जाने का आदेश पारित किया गया है तथा अपीलार्थी द्वारा याचिका प्रस्तुत किये जाने पर सेना प्रमुख द्वारा सेना अधिनियम की धारा 164 के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा से पदच्युत किये जाने के उक्त आदेश की पुष्टि की गई है इसलिए मामले के तथ्य और परिस्थियों में सेना अधिनियम के धारा 20 के तहत सेवा से पदच्युत किये जाने का आदेश जिसकी पुष्टि सेना प्रमुख द्वारा की गई है, दोहरे दंड के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

भारत संघ और अन्य बनाम हरजीत सिंह संधू [2001] 5 एस.सी.सी. 593: [2001] 2 एस.सी.आर. 1127 – पर भरोसा जताया गया

मध्यप्रदेश राज्य बनाम हजारी लाल [2008] 3 एस.सी.सी 273: [2008] 2 एस.सी.आर. 787: सेना प्रमुख बनाम मेजर धरमपाल कुकरेती [1985] 2 एस.सी.सी. 412: [1985] 3 एस.सी.आर. 415 – संदर्भ लिया गया।

<u>निर्दिष्ट न्याय दृष्टांत</u>

[2008]2 एस.सी.आर. 787	संदर्भ लिया गया	पैरा 4.7
[2001]2 एस.सी.आर. 1127	भरोसा जताया गया	पैरा 5.6
[1985] 3 एस.सी.आर. 415	संदर्भ लिया गया	पैरा 6.3

सिविल अपीलीय अधिकारिता : सिविल अपील क्रमांक 2448/2010

रिट याचिका क्रमांक 423/2005 में बाम्बे उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 31/01/2008 से उदभूत।

अपीलार्थी की ओर से – ब्रज के. मिश्रा, मकरंद डी. अदकर, विजय कुमार मुस्तफा ए. खान, सुश्री कीर्ति सोढि, विश्वजीत सिंह अधिवक्ता गण उपस्थित।

उत्तरवादियों की ओर से – सुश्री सोनिया माथुर वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री निरंजना सिंह, अरविंद कुमार शर्मा, अनमोल चंदन, श्रीधर पोआराजू, सुश्री सिवानी तुसीर, जी. उषाश्री, बी. कृष्णा प्रसाद अधिवक्ता गण उपस्थित।

न्यायालय का निर्णय पारित,

न्यायमूर्ति एम.आर. शाह द्वारा

1. मूल याचिकाकर्ता ने वर्तमान अपील रिट याचिका क्रमांक 423/2005 में बॉम्बे में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश दिनांक 31.01.2008 जिसके द्वारा बॉम्बे उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है और उत्तरवादी द्वारा दिनांक

29.04.2002 को पारित आदेश जिसमें उसमें सेवा से पदच्युत किया गया है में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, से व्यथित और असंतुष्ट होकर, प्रस्तुत किया है।

2. वर्तमान अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

यहां अपीलार्थी मूल रिट याचिकाकर्ता है ने (इसके बाद 'अपीलार्थी' के रूप में संदर्भित) दिनांक 30.08.1990 को भारतीय सेना में एक सिपाही के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ किया। वर्ष 1994–95 में उन्हें नायक के रूप में पदोन्नत किया गया। इसके बाद,वे हवलदार के पद पर पदोन्नति के लिए अहर्त हो गये। दिनांक 3.8.1999 को उन्हें एक आरोप पत्र दिया गया जिसमें कदाचार के तीन आरोप अधिरोपित किये गए थे यह कि सेना अधिनियम, 1950 की धारा 63 के तहत (इसके बाद 'सेना अधिनियम' के रूप में संदर्भित) अपीलार्थी पर तीन आरोप विरचित किये गये थे। उपरोक्त आरोप पत्र के संबंध में, अपीलार्थी को सम्मरी सेना न्यायलय द्वारा जाँच हेतु बुलाया गया था अपीलार्थी ने प्रत्येक लिखित रूप में स्वीकार किया। अपीलार्थी द्वारा लिए गए बचाव पर विचार किया गया,सम्मरी सेना न्यायलय की कार्यवाही पूर्ण/समाप्त होने के बाद,अपीलार्थी को आदेश दिनांक 7.8.1999 के द्वारा पंक्ति मे अवनत किये जाने का सजा दिया गया। यह कि इसके बाद अपीलार्थी को दिनांक 24.3.2000 को कारण बताओ नोटिस दिया गया, जिसके द्वारा अपीलार्थी से स्पष्टीकरण मांगा गया कि क्यो ना उसे सेना अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों सहपाठित सेना नियम, 1954 के नियम 17 (जिसे इसके बाद 'सेना नियम' के रूप में संदर्भित किया गया है) के तहत सेना की सेवा से पदमुक्त किया जाए ।यह कि अपीलार्थी ने 10.4.2000 को उक्त कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। उन्होंने कारण बताओ नोटिस मे लगाए गए आरोपों से इंकार किया। विभाग के अनुसार, यद्यपि अपीलार्थी ने तीन आरोपों के लिए दोषी होने का अभिवाक किया था, लेकिन दिनांक 24. 3. 2000 के कारण बताओ नोटिस के जवाब में उसने उन आरोपों से इनकार किया और इसलिए वे कपटपूर्ण प्रकृति के थे। विभाग के अनुसार, इस तरह इंकार किये जाने पर, नोटिस में अपीलार्थी द्वारा प्रकट किए गए तथ्यों का पता लगाने के लिए जनवरी, 2001 में जाँच अधिकरण गठित किया ग़या ।विभाग के अनुसार, इसके बाद फिर से जाँच अधिकरण की बैठक हुई। अपीलार्थी साक्षी के रूप में पेश हुआ।उसका परीक्षण किया गया ।जाँच अधिकरण ने उससे ऐसे प्रश्न पूछे जो उसके द्वारा उसके जवाब में दिए गए बयान की सच्चाई या शुद्धता का परीक्षण करने और सच्चाई का पता लगाने के लिए वांछनीय लगा ।विभाग के अनुसार, जाँच अधिकरण की रिपोर्ट संबंधित प्राधिकारी को सौंपी गई। विभाग के अनुसार, जाँच अधिकरण ने यह निष्कर्ष निकाला कि अपीलार्थी ने अपने जबाब साथ ही साथ जाँच अधिकरण के समक्ष अपने साक्ष्य में गलत और भ्रामक कथन किया है। विभाग के अनुसार दिनांक 17.4.2001 को अपीलार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था कि अवांछनीय होने के कारण उसकी सेवाओं की आवश्यकता अब सेना को नहीं है इसलिए क्यो न नियम 13 (3) आइटम III (V) के तहत उसकी सेवा सेना से समाप्त किया जाए । यह कि अपीलार्थी ने दिनांक 14.6.2001 को उक्त कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत किया। इसके बाद उत्तरवादियों ने सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियम नियम 17 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिनांक 29.4.2002 को अपीलार्थी की सेवा समाप्त कर दिया गया ।

2.1 दिनांक 29.4.2002 के सेवा समाप्ति के आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर, अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत किया, जिसे दिनांक 22.12.2003 को खारिज कर दिया गया। यह कि इसके बाद अपीलार्थी ने उसे सेवा से मुक्त किये जाने के आदेश के साथ–साथ अपील को खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।

2.2 उच्च न्यायालय के समक्ष, अपीलार्थी की ओर से यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि एक बार अपीलार्थी का सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा विचारण किया गया और अपीलार्थी को उसके पंक्ति से अवनत किये जाने की सजा दी गई, उसके बाद उन्हीं आरोपों के लिए, अपीलार्थी को सेना

अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियम 17 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा से पदच्युत नहीं किया जा सकता था ।अपीलार्थी का मामला यह था कि एक बार सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा सजा सुनाए जाने के बाद,अपीलार्थी को सेना अधिनियम की धारा 20 सहपठित सेना नियम के नियम 17 के तहत प्रशासनिक आदेश पारित कर सेवा से पदच्युत करना दोहरा दंड होगा जो अनुज्ञेय नही है यद्यपि, उच्च न्यायालय ने इससे सहमति नहीं जताई और रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियम के नियम 17 के तहत प्रशासनिक शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है और इसलिए सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियम के नियम 17 में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। फलस्वरूप उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है और अपीलार्थी को सेवा से पदच्युत करने वाले प्रशासनिक आदेश जिसे सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियम के निय 17 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित किया गया था, में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

3. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट होकर , अपीलार्थी–मूल रिट याचिकाकर्ता ने वर्तमान अपील प्रस्तुत किया है।

4. अपीलार्थी–मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रज के. मिश्रा ने अभिभूत होकर यह तर्क प्रस्तुत किया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, रिट याचिका खारिज करके और उत्तरवादी प्राधिकारी द्वारा दिनांक 29.4.2002 के सेवा समाप्ति के आदेश में हस्तक्षेप न करके उच्च न्यायालय ने गंभीर त्रुटि कारित किया है

4.1 अपीलार्थी–मूल रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रज के. मिश्रा ने जोरदार ढंग से यह तर्क प्रस्तुत किया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की सराहना न करके कि उत्तरवादी क्रमांक –3 द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा अपीलार्थी की सेवा समाप्त किया गया। वास्तव में अवैध और विधि की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण था और यह दोहरे दंड की श्रेणी मे आयेगा, तात्विक त्रुटि कारित किया है

4.2 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर कि अपीलार्थी को एक ही अपराध के लिए उत्तरवादियों द्वारा दो बार दंडित किया गया था, पर उचित रूप से विवेचना और विचार नहीं किया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पूर्व मे दिनांक 3.8.1999 को आरोप पत्र में उल्लेखित कदाचार के आरोपों के संबंध में अपीलार्थी का सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा विचारण किया गया था। अपीलार्थी को उसी कदाचार का दोषी पाया गया और दिनांक 07.08.1999 को सेना न्यायालय ने सेना अधिनियम की धारा 71 के तहत पंक्ति अवनत किये जाने का दंड अधिरोपित किया। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त कार्यवाही अपीलार्थी को दंडादेश दिये जाने के बाद समाप्त हुआ। इसलिए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा दंडादेश पारित किये जाने और उसे अंतिम रूप प्राप्त करने के बाद उत्तरवादी क्रमांक–2 के पास मामले को पुनः खोलने और अपीलार्थी के विरुद्ध उन्ही आरोपों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही प्रारंभ करने का कोई विकल्प नही था।

4.3 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा दंडादेश दिये जाने के बावजूद , जो सम्मरी सेना न्यायालय की कार्यवाही समाप्ति के बाद दिया गया था ,उत्तरवादियों ने दिनांक 24.03.2000 को अपीलार्थी के विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए कि आरोपों के विवरण से पता चलता है कि अपराध कपटपूर्ण प्रकृति का था, कारण बताओ नोटिस जारी किया ।यह

तर्क किया गया कि इसलिए दिनांक 24.3.2000 को जारी कारण बताओ नोटिस स्वयं में अवैध और विधि के दृष्टि मे त्रुटिपूर्ण था।

4.4 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा जोरदार ढंग से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सम्मरी सेना न्यायालय की कार्यवाही जिसमें अपीलार्थी को पंक्ति से अवनत करने का दंड दिया गया था, के समापन के बाद उत्तरवादी क्रमांक–3 को उसी कदाचार के संबंध में आगे कार्यवाही करने का कोई अधिकारिता नहीं था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि यह कहा गया था कि अपराध कपटपूर्ण प्रकृति का था,फिर भी उत्तरवादी क्रमांक–3 के पास यह विकल्प था वह सम्मरी सेना न्यायालय की कार्यवाही के दौरान ही अपीलार्थी पर कोई दंड अधिरोपित करे ।यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, यद्यपि, सुसंगत समय पर,उत्तरवादी क्रमांक–3 ने अपीलार्थी का पंक्ति अवनत किये जाने का दंड अधिरोपित कर एक चेतनापूर्ण निर्णय लिया था।यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मामले के दृष्टिकोण में, इसके बाद उत्तरवादी क्रमांक–3 को मामले को फिर से खोलने और उन्हीं आरोपों पर जिसके लिए अपीलार्थी को पहले ही पंक्ति से अवनत किये जाने की सजा दिया जा चुका था, नई कार्यवाही शुरू करने का विधिक अधिकार नहीं था। अपने उपरोक्त तर्को के समर्थन में,अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों, विशेष रूप से सेना अधिनियम की धारा 121,161 और 162 की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है ।

4.5 अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जिस तरीके से बाद में उत्तरवादियों द्वारा जाँच अधिकरण गठित कर कार्यवाही किया गया था, वह भी अवैध है और प्रारभतः शून्य है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी को दिनांक 24.3.2000 को कारण बताओ नोटिस जारी किया था जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि कारण बताओ नोटिस में उल्लिखित आरोपों के विशिष्टियों से पता चलता है कि अपराध की प्रकृति कपटपूर्ण है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार यदि विधि मे अनुज्ञेय हो तो, उत्तरवादी क्रमांक–3 के लिए आवश्यक है वह केवल उन आरोपों के संबंध में जो दिनांक 03.08.1999 को जारी कारण बताओ नोटिस मे कपटपूर्ण प्रकृति के रूप मे उल्लेखित है, अग्रिम अन्वेषण/जाँच करे। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सम्मरी सेना न्यायालय के निष्कर्ष के दृष्टिगत यह अनुज्ञेय नहीं था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरवादी क्रमांक–3 के अनुसार यद्यपि जाँच अपीलार्थी की ओर से कारण बताओ नोटिस के जवाब में कथित रूप से सामने आए नए तथ्यों का किया गया था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 24.3.2000 के कारण बताओ नोटिस द्वारा, अपीलार्थी को दिनांक 3.8.1999 के आरोप पत्र में उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की कथित कपटपूर्ण प्रकृति के संबंध में उसका जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।यह तक प्रस्तुत किया गया है कि बचाव में अपीलार्थी ने यह कहते हुए आरोपों से इंकार किया कि उक्त आरोप की प्रकृति कपटपूर्ण नहीं हैं।यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अन्यथा भी, यदि उत्तरवादी क्रमांक– 3 का यह विचार था कि अपीलार्थी ने झूठा बयान दिया था या अपने जबाब दिनांक 10.04.2000 में गलत जानकारी दिया था और उस कारण से अपीलार्थी के विरुद्ध अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत कार्यवाही करना आवश्यक था, उत्तरवादी क्रमांक–3 के लिए यह आवश्यक था कि वह अपीलार्थी को जारी कारण बताओ नोटिस पर अपीलार्थी के जवाब की विशिष्ट अंतर्वस्तु के संबंध में अपीलार्थी के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाते हुए एक नया आरोप पत्र प्रस्तुत करे । यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यह उत्तरवादी क्रमांक –3 के लिए यह भी आवश्यक था कि वह अपीलार्थी को दिये गये कारण बताओ नोटिस के जवाब में अपीलार्थी द्वारा दिए गए कथित झूठे बयानों के

संबंध में उन विशिष्ट आरोपों का स्पष्टीकरण दिये जाने का उचित और युक्तियुक्त अवसर दे । यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यद्यपि यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलार्थी को न तो ऐसा नया आरोप पत्र जारी किया गया था और न ही अपीलार्थी को यह समझाते हुए कि कारण बताओ नोटिस पर उसके जवाब के कौन से कथन और अंतर्वस्तु गलत, भ्रामक आदि थे, कोई अवसर दिया गया था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए भी नहीं बुलाया गया था।यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उत्तरवादी क्रमांक – 3 द्वारा सीधे जाँच की कार्यवाही किया गया और यह निष्कर्ष दिया गया कि अपीलार्थी ने कारण बताओ नोटिस पर अपना जवाब प्रस्तुत करते समय कदाचार किया है और इस तरह के कदाचार के लिए, वह सेवा में बने रहने योग्य नहीं है या अपीलार्थी को आगे सेवा में बनाए रखना अवांछनीय माना गया है ।यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकार उत्तरवादी क्रमांक–3 द्वारा की गई समस्त कार्यवाही अवैध , विधि की दृष्टि मे त्रुटिपूर्ण और अधिकारिता से परे है और यह सेना अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों का उल्लंघन भी हैं और इसलिए उन्हें उच्च न्यायालय द्वारा अपास्त कर दिया जाना चाहिए था।

4.6 आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि आरोप पत्र / आधार जिसके कारण सम्मरी सेना न्यायालय की कार्यवाही किया गया था के समाप्ति के पश्चात उत्तरवादी क्रमांक–3 द्वारा सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियम 17 के तहत प्रशासनिक शक्तियों का प्रयोग पूर्ण रूप से अवैध और अधिकारिता से परे है।

4.7 अपने तर्क के समर्थन में, अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा मध्य प्रदेश राज्य बनाम हजारी लाल (2008) 3 एस. सी. सी. 273 में दिये गए निर्णय पर भरोसा जताया है।

4.8 उपरोक्त तर्क प्रस्तुत करते हुए और इस न्यायालय द्वारा पारित उपरोक्त निर्णय पर भरोसा जताते हुए, वर्तमान अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना किया गया है।

5. उत्तरवादियो की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता सुश्री सोनिया माथुर ने वर्तमान अपील का पुरजोर विरोध किया है। उत्तरवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने जोरदार ढंग से तर्क प्रस्तुत किया है कि उत्तरवादी क्रमांक– 3 द्वारा पारित आदेश जिसमें सेवा से पदच्युत किया गय था, जिसे उच्च न्यायालय मे चुनौती दिया गया था, सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियम के नियम 17 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारित एक प्रशासनिक आदेश था ।यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियम के नियम 17 के तहत उत्तरवादी क्रमांक –3 को प्रदत शक्तियाँ स्वतंत्र शक्तियाँ है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत यह तर्क कि सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियमों के नियम 17 के तहत पारित सेवा समाप्ति का पश्चातवर्ती प्रशासनिक आदेश दोहरा दंड है, मे कोई सार नहीं है।

5.1 उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियमों के नियम 17 के तहत कार्यवाही,प्रशासनिक प्रकृति की होती है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रशासनिक कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही से स्वतंत्र होती है और यहां तक कि दोनों समानांतर रूप से चल सकते हैं।यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि यह मान लिया जाए कि सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही दांडिक कार्यवाही है, फिर भी सेना न्यायालय में जिन अपराधों के लिए मुकदमा चलाया गया था, वह सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत किए गए कार्यवाहियों से अलग थे और इसलिए यह दोहरे दंड का मामला नहीं हो सकता है

क्योंकि सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत की गई कार्यवाही को भारत के संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के तहत "अभियोजन" नहीं माना जा सकता है।

5.2 आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियमों के नियम 17 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर, आवश्यकतानुसार उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत सेवा से पदच्युत किये जाने का आक्षेपित आदेश पारित किया गया था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सेना अधिनियम की धारा 20 में प्रावधान है कि सेना अधिनियम के अधीन सेना प्रमुख या अन्य अधिकारी एक अधिकारी से भिन्न किसी भी व्यक्ति को सेवा से पदच्युत कर सकता है या हटा सकता हैं। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सेना नियमों के नियम 17 के तहत सेवा से पदच्युत किये जाने हेतु विहित एकमात्र प्रक्रिया यह है कि जब तक कि किसी व्यक्ति को उसके विरुद्ध किये जा रहे कार्यवाही के कारण के बारे में सूचित नहीं किया जाता है और उसे उसकी बर्खास्तगी या सेवा से हटाने के विरुद्ध अपील करने के किसी भी कारण को लिखित में बताने के लिए युक्तियुक्त समय नहीं दिया जाता है। तब तक किसी भी व्यक्ति को सेवा से पदच्युत अथवा हटाया नहीं जाएगा।

5.3 उत्तरवादियो की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सेना अधिनियम की योजना के अनुसार, अध्याय 4 सेवा की शर्तों से संबंधित है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उक्त अध्याय में, धारा 18 राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त सिद्धांत के बारे मे बताता है। धारा 19 और 20 केंद्र सरकार को कदाचार के आधार पर अधिकारी की सेवाओं को समाप्त करने और सेना प्रमुख और अन्य अधिकारियों को अन्य श्रेणी के कर्मचारियों की सेवा को समाप्त करने की शक्ति प्रदान करता है।यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सेना नियमों के अध्याय 3 का नियम 14 और 17 क्रमशः केन्द्र सरकार द्वारा कदाचार के आधार पर अधिकारी की सेवा समाप्त करने से संबंधित है और सेना प्रमुख और अन्य अधिकारियों द्वारा क्रमशः अन्य श्रेणी के व्यक्ति के संबंध में सेवा से पदच्युत या हटाने की प्रक्रिया से संबंधित हैं।।

5.4 उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वाक्यांश सेना न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि, का उल्लेख नियम 14 में नहीं है जो नियम 17 में अन्य श्रेणी के संबंध में दिया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए संसद ने उक्त वाक्यांश को नियम 17 में शामिल किया है क्योंकि सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा केवल अन्य श्रेणी पर मुकदमा चलाया जा सकता है जिसे सेना अधिनियम की धारा 153 के संदर्भ में पुष्टि की आवश्यकता नहीं है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पुष्टि किये जाने के किसी भी शक्ति के अभाव में जो जनरल सेना न्यायालय, सम्मरी सेना न्यायालय डिस्ट्रिक्ट सेना न्यायालय के मामले में उपलब्ध है, कोर्ट मार्शल और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मार्शल, विचारण के बाद कमान ऑफिसर द्वारा एक बार हस्ताक्षर किए जाने के बाद संशोधन के लिए सम्मरी सेना न्यायालय को पुनरीक्षण हेतु नहीं भेजा जा सकता है।यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दूसरे शब्दों में सेना अधिनियम और सेना नियमों की योजना सेना अधिनियम की धारा 160 सहपाठित सेना नियमों के नियम 68 के तहत पुर्नरीक्षण द्वारा सेना न्यायालय द्वारा की गई किसी भी त्रुटि को सुधारने के लिए एक तंत्र प्रदान करती है, जो सम्मरी सेना न्यायालय के मामले में उपलब्ध नहीं है।यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि न्याय की विफलता से बचने के लिए, संसद ने सक्षम प्राधिकारी को सेना न्यायालय द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद व्यक्ति को सेवा से पदच्युत करने की शक्ति प्रदान करके सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियमों के नियम 17 का सहारा लेने का अधिकार दिया है।

5.5 उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में अभियुक्त (इसमें अपीलकर्ता–मूल रिट याचिकाकर्ता) के विरुद्ध सेना अधिनियम की धारा 63 के तहत आरोप लगाये गये थे जो बहुत गंभीर थे जिसका जनरल सेना न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट सेना न्यायालय द्वारा विचारण किये जाने की आवश्यकता थी। इसलिए यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कमान ऑफिसर के लिए उचित विधिक सलाह हेतु इसे संदर्भित करना अनिवार्य था। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सुसंगत समय पर जब सम्मरी सेना न्यायालय का गठन और उसके द्वारा कार्यवाही किया गया था उस समय कार्यवाही करते समय उचित रूप से विचार नही किया गया था और कमान ऑफिसर के द्वारा उचित रूप से विचार किये बिना मामले का निपटारा किया गया था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि कपट के मामले को उचित तरीके से निपटने की आवश्यकता है परंतु इस मामले में लापरवाही दिखाई देता है जिसने न्याय के उद्देश्यों को विफल कर दिया और भावी अपराधियों के लिए गलत मिसाल कायम किया ।यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि आरोपी अपने कपटपूर्ण कृत्यों के स्वाभाविक परिणामों से न बचे, सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियमों के नियम 17 के तहत उसकी सेवाओं को समाप्त करने का सहारा लिया गया। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियमों के नियम 17 के तहत सेवा से पदच्युत किये जाने का आदेश वैध है क्योकि नियम 17 मे सेना न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किये गये व्यक्ति जिसे सेवा में बनाए रखना वांछनीय नहीं है,को बर्खास्त करने का प्रावधान है ।

5.6 अब जहाँ तक अपीलकर्ता की ओर से सेना अधिनियम की धारा 163 के तहत सेना प्रमुख द्वारा शक्तियों के उपयोग पर तर्क प्रस्तुत करने का संबंध है, उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय द्वारा भारत संघ और अन्य बनाम हरजीत सिंह संधू ने (2001) 5 एस. सी. सी. 593 के मामले दिए गये निर्णय पर अत्यधिक भरोसा जताया है और यह तर्क प्रस्तुत किया कि उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय द्वारा सेना अधिनियम की पूरी योजना और सम्मरी सेना न्यायालय आदि के संबंध में नियमों और सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियमों के नियम 17 के तहत थल सेनाध्यक्ष की शक्तियों और एक अधिकारी, जिसकी सेवा को कदाचार के आधार पर समाप्त करने का प्रस्ताव है,जिसके कारण उसे आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है के मामले पर विस्तार से विचार किया गया, यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियमों के नियम 17 के तहत स्वतंत्र शक्तियों को मान्यता दिया है। उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए,उत्तरवादियो की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा जोरदार तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत कार्यवाही प्रशासनिक प्रकृति की होती है और सेना न्यायालय की कार्यवाही के समान नहीं होती है। यह आगे तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यह दोहरे दंड का मामला नहीं हो सकता है क्योंकि सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत की गई कार्यवाही को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 (2) के तहत "अभियोजन" नहीं माना जा सकता है।

5.7 उत्तरवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में इस न्यायालय द्वारा सेना प्रमुख बनाम मेजर धरम पाल कुकरेती (1985)2 एस.सी.सी. 412 के मामले मे दिये गये निर्णय पर बहुत अधिक भरोसा जताया है कि वर्तमान मामले में सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत सेना प्रमुख द्वारा शक्तियों का प्रयोग किसी भी अवैधता से ग्रस्त नहीं है।

5.8 उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अन्यथा गुण–दोष के आधार पर भी, उत्तरवादी क्रमांक–3 द्वारा सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियमों के नियम 17 के तहत शक्तिओं का प्रयोग कर पारित किया गया आदेश जिसमे सेवा से पदच्युत किये जाने का आदेश दिया गया था में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है।

5.9 यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में प्रारंभिक कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.3.2000 स्पष्ट रूप से यह दर्शित करता है कि अपीलार्थी का आचरण जिसके कारण सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा श्रेणी से अवनत किया गया था, कपटपूर्ण प्रकृति का था और इसलिए अपीलार्थी से कारण बताने को कहा कहा गया कि क्यो न उसके विरुद्ध सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियमों के नियम 17 के तहत कार्यवाही की जाए। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इसके जबाब में, अपीलार्थी ने स्पष्ट रूप से कहा कि वह 29.2.1996 तक यूनिट में मौजूद नहीं था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी का उसकी अनुपस्थिति के संबंध में दिए गये जवाब का कर्नल की अध्यक्षता वाले जाँच अधिकरण द्वारा जाँच किया गया जिन्होने उक्त बयान को गलत पाया और उपयुक्त अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जाँच अधिकरण के मत के आधार पर, ब्रिगेड कमांडर ने कारण बताओ नोटिस का गलत और भ्रामक जवाब देने के कारण अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की।यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त पृष्ठभूमि मे अपीलार्थी को कारण दर्शित करने के लिए कि अवांछनीय होने के कारण उसकी सेवाओं की अब आवश्यकता नही है इसलिए क्यो न उसे नियम 13 (3) आइटम III (v) के तहत सेवा से उन्मोचित किया जाये, दिनांक 17.4.2001 एक और स्वतंत्र कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि सेना अधिनियम की धारा 22 में सेवा से उन्मोचन की शक्ति का प्रावधान है। आगे यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अपीलार्थी ने दोनों कारण बताओ नोटिसों अर्थात्, दिनांक 24.3.2000 और पश्चातवर्ती कारण बताओ नोटिस दिनांक 17.4.2001 के बीच के अंतर को विधिवत समझा है, और तदनुसार दिनांक 14.6.2001 को जवाब प्रस्तु किया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पहला कारण बताओ नोटिस दिनांक 24.3.2000 नियम 17 के तहत जारी किया गया था जिसमे सेवा से पदच्युत किये जाने या सेवा से हटाने का प्रावधान है जबकि दूसरा कारण बताओ नोटिस धारा 22 सहपाठित नियम 13 तहत पद से उन्मोचन हेतु था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि दोनों कारण बताओ नोटिस सेना अधिनियम और सेना नियमों के तहत निहित अलग–अलग शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए थे। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अंततः दिनांक 29.04.2002 को सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियमों के नियम 17 तहत सेवा से पदच्युत किये जाने का आदेश पारित किया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इसलिए सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियमों के नियम 17 के प्रक्रियात्मक आवश्यकताओं का विधिवत पालन किया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि किसी भी प्रक्रियात्मक आवश्यकता का अनुपालन नही किया गया है, इस संबंध में कोई तर्क नही किया गया है। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि एकमात्र मुद्दा जो उठाया गया था वह यह था कि सेना न्यायालय की कार्यवाही के अंतिम रूप लेने के बाद प्रशासनिक कार्यवाही प्रारंभ करने की शक्ति उपलब्ध था। यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इसके बाद इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि व्यापक हित में अपीलार्थी को सेवा मे बरकरार नहीं रखा जा सकता है और इसलिए उसकी सेवाओं को उचित रूप से समाप्त कर दिया गया है/उसे सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियमों के नियम 17 के तहत उचित रूप से सेवा से पदच्युत किया गया है।

5.10 उपरोक्त तर्को और इस न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा जताते हुए, वर्तमान अपील को खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई है।

6. हमने संबंधित पक्षकारों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना है।

6.1 प्रारंभ में, यह लेख किया जाना आवश्यक है कि वर्तमान मामले में, कमांडर यहां उत्तरवादी क्रमांक–3 द्वारा सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियमों के नियम 17 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को सेवा से पदच्युत कर दिया गया है।

6.2 अपीलार्थी का मामला के यह है कि पूर्व में उसका कदाचार के आरोपों के लिए सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा विचारण किया गया था, और उसे सेवा से पदच्युत किये जाने का आदेश पारित किया गया था और इससे पहले सम्मरी सेना न्यायालय ने श्रेणी से अवनत किये जाने का आदेश पारित किया था, उत्तरवादी क्रमांक–3 द्वारा सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्तियों का प्रयोग कर सेवा से पदच्युत किये जाने का पश्चातवर्ती आदेश विधि की दृष्टि से दोषपूर्ण है और दोहरे दंड के सिद्धांत का उल्लंघन करता है ।

6.3 दूसरी ओर, विभाग का मामला यह है कि सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत सेवा से पदच्युत किये जाने की शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है जो सेना प्रमुख और अन्य अधिकारियों में निहित है और इसलिए सेना अधिनियम की दो धारा, धारा 20 और 71 परस्पर अनन्य हैं।विभाग की ओर से इस दलील पर विचार करते हुए कि सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्ति सेनाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों के पास निहित एक स्वतंत्र शक्ति है, इस न्यायालय द्वारा हरजीत सिंह संधू (सुप्रा) के मामले में दिये गये निर्णय को संदर्भित करने और उस पर विचार करने की आवश्यकता है।

6.4 सेना अधिनियम की धारा 19 के तहत केंद्र सरकार द्वारा सेवा समाप्त किये जाने के समान शक्ति पर विचार करते हुए, इस न्यायालय द्वारा यह अवलोकित और अभिनिर्धारित किया जाता है कि धारा 19 के तहत शक्ति (केंद्र सरकार मे निहित) एक स्वतंत्र शक्ति है। इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय में आगे यह अवलोकित और अभिनिर्धारित किया गया है कि केंद्र सरकार या सेनाध्यक्ष इस बात से संतुष्ट होना चाहिये कि अधिकारी पर सेना न्यायालय द्वारा मुकदमा चलाना अनुचित या अव्यावहारिक है, तब सेना न्यायालय द्वारा मुकदमा नही चलाया जा सकता है और इसके अतिरिक्त, सेवा में आगे प्रतिधारण के लिए अधिकारी की अवांछनीयता के बारे में राय हेतु धारा 19 सहपाठित नियम 14 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है। आगे यह अवलोकित और अभिनिर्धारित किया गया है कि धारा 19 सहपाठित नियम 14 के तहत ऐसा निर्णय या तो कोर्ट मार्शल बुलाने से पहले या इसे बुलाए जाने और शुरू किए जाने के बाद भी लिया जा सकता है, बशर्ते कि कोर्ट मार्शल द्वारा किया गया विचारण अनुचित या अव्यावहारिक हो जाए, जिस स्तर पर केंद्र सरकार या सेनाध्यक्ष धारा 19 सहपाठित नियम 14 पर वापस लौट सकते हैं। साथ ही, आगे यह अवलोकित और अभिनिर्धारित किया गया है कि सेना न्यायालय द्वारा दिया गया निष्कर्ष और दंडादेश अंतिम होगा बशर्ते उनकी पुष्टि की जाए और रद्द नहीं किया जाए।आगे यह भी अवलोकित किया गया है कि किसी भी सेना न्यायालय द्वारा पारित आदेश की शुद्धता, वैधता और औचित्य और सेना न्यायालय के आदेश से संबंधित किसी भी कार्यवाही की नियमितता को धारा 164 के तहत याचिका के माध्यम से प्रश्नगत किया जा सकता हैं।यह आगे अवलोकित किया गया है कि एक बार निष्कर्ष और सजा, यदि कोई हो, की पुष्टि हो जाने के बाद, सेना न्यायालय सैन्य न्याय प्रदान करने वाला एक विशेष न्यायाधिकरण होने के नाते, धारा 19 नियम 14 द्वारा प्रदत्त शक्ति का अतिरिक्त प्रयोग करने और उसके तहत दंड देने अनुमति नहीं होगी यदि सेना न्यायालय ने धारा 71 के तहत सजा के रूप में इसे

देने का विकल्प नहीं चुना है।आगे यह अवलोकित किया गया है कि इस तरह की अनुमति देना दोहरे दंड के सिद्धांत का उल्लंघन होगा और सेना न्यायालय की कार्यवाही, निष्कर्ष और सजा की प्रभावशीलता को नष्ट करने वाला होगा। आगे यह अवलोकित और अभिनिर्धारित किया जाता है कि जब तक सेना न्यायालय द्वारा दोषी या दोषी नहीं होने का अंतिम निर्णय जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रभावी होने के लिए पुष्टि किया गया हो उपलब्ध नहीं है, तब तक धारा 19 सहपाठित नियम 14 (2) के तहत कार्यवाही करने की शक्ति उपलब्ध होती है ।

6.5 उपरोक्त टिप्पणियों और इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के आलोक में, उत्तरवादी क्रमांक– 3 द्वारा सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्ति के प्रयोग कर अपीलार्थी को सेवा से पदच्युत किये जाने का आदेश जिससे अपीलार्थी को सेवा से पदच्युत किया गया,पारित किया गया था और इसकी वैधता पर विचार करने की आवश्यकता है।

7. अभिलेख के तथ्यों से यह प्रतीत होता है कि पूर्व में निम्नलिखित कारणों से सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किया गया था।

"(क) 27 फरवरी 1996 के रक्षक दल रसीद नोट 599 की प्रमाणित रक्षक दल रसीद नोट को सही ढंग से तैयार नहीं किया।

(ख) 29 फरवरी, 1996 और 02 मार्च, 1996 को ओटीजी और रसीद काफिले के नोट से संबंधित खेपों को भेजा और इसके बजाय अन्य लोगों के रसीद काफिले के नोटों से संबंधित खेपों को भेजना।

(ग) इस तथ्य के विपरीत कि 27 फरवरी 1996 को स्टील बाल्टी के268 पैकेजों को ओटीजी में उतारा गया था, न्यायालय को गलत जानकारी दिया कि 3700 स्टील बाल्टी ओटीजी में प्राप्त नहीं हुए थे।

यद्यपि, यह लेख किया जाना आवश्यक है कि सुसंगत समय पर, उपरोक्त खामियों/आरोपों को कपटपूर्ण प्रकृति का नहीं माना गया था और अपीलार्थी का उक्त खामियों/आरोपों के लिए सेना अधिनियम की धारा 63 के तहत सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा विचारण किया गया था और उसके बाद अपीलार्थी को पद से अवनत किये जाने का दंड दिया गया था। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं है कि सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसके द्वारा अपीलार्थी को पद से अवनत किया गया था, की पुष्टि सेना प्रमुख ने सेना अधिनियम की धारा 164 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसके द्वारा अपीलार्थी को पद से अवनत किये जाने का दंड दिया गया था। सक्षम प्राधिकारी (वर्तमान मामले में सेना प्रमुख) द्वारा पुष्टि किए जाने पर अंतिम हो गया था। इसलिए, हरजीत सिंह संधू (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 24 से 27 (विशेष रूप से, पैराग्राफ 27) में की गई टिप्पणियों पर विचार करते हुए, सक्षम प्राधिकारी के लिए सेना अधिनियम की धारा 20 सहपठित सेना नियमों के नियम 17 के तहत शक्तियों का प्रयोग करने का विकल्प खुला था। सेना प्रमुखमें निहित और सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत प्रदत्त शक्ति एक स्वतंत्र शक्ति है और जिसके लिए सेना नियमों के नियम 17 के तहत प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक है,यद्यपि, इसका पालन किया जाना इस न्यायालय द्वारा हरजीत सिंह संधू (पूर्वोक्त) के मामले में पैराग्राफ 27 में दिए गए निर्बंधनों के अधीन है। इसका अर्थ यह है कि केवल ऐसे मामले में जहां सेना न्यायालय द्वारा दोषी या दोषी नहीं होने के अंतिम निर्णय पारित किया गया जिसकी पुष्टि सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है और वह निर्णय अंतिम हो गया है, धारा 19 सहपाठित नियम 14 या धारा 20 सहपाठित नियम 17 तहत अग्रिम कार्यवाही करने की शक्ति उपलब्ध नहीं होगी। दूसरे शब्दों में, जब तक सेना न्यायालय द्वारा घोषित दोषी होने या दोषी

नहीं होने का घोषित अंतिम निर्णय जिसे लागू किये जाने की पुष्टि सक्षम प्राधिकारी द्वारा नहीं होती है, तब तक धारा 19 सहपाठित नियम 14 या धारा 20 सहपाठित नियम 17 के तहत,जैसा भी मामला हो, अग्रिम कार्यवाही करने की शक्ति होती है और प्रयोग किये जाने हेतु उपलब्ध है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा पारित आदेश जिसके द्वारा अपीलार्थी को पद से अवनत कर दिया गया था, की किसी भी पुष्टि के अभाव में, उत्तरवादी क्रमांक–3 द्वारा धारा 20 सहपाठित नियम 17 के तहत शक्ति का प्रयोग किया जाना न्यायोचित था।इस स्तर पर, यह लेख किया जाना आवश्यक है कि सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय, एकमात्र प्रक्रिया जिसका पालन करना आवश्यक है, वह सेना नियमों के नियम 17 के तहत होगी, अर्थात्, एक व्यक्ति जिसे पदच्युत करने या सेवा से हटाने की मांग की जाती है, उसे उसके विरुद्ध कार्रवाई के कारण के बारे में सूचित किया जाना चाहिए और उसे सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाने के विरुद्ध लिखित रूप में कारण बताने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए वर्तमान मामले में, अपीलार्थी को ऐसा अवसर दिया गया है और इसलिए सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को सेवा से पदच्युत करने से पहले उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है।

8. अब जहाँ तक अपीलार्थी की ओर से किया गया तर्क कि सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत सेवा से पदच्युत किये जाने का आदेश दोहरे दंड के सिद्धांत का उल्लंघन है, का प्रश्न है, ऊपर बताए गए कारणों से इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत सेवा से पदच्युत किये जाने के आदेश को दोहरे दंड के सिद्धांत का उल्लंघन क्यों नहीं कहा जा सकता है, इसका एक और कारण भी है यह लेख किया जाना आवश्यक है कि पूर्व में जब अपीलार्थी का सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा विचारण किया गया था तब उस समय केवल सेना अधिनियम की धारा 63 के तहत अपराधों के लिए विचारण किया गया था। यद्यपि, बाद में सेना प्रमुख का मत था कि जिन आरोपों के लिए पूर्व में अपीलार्थी का सम्मरी सेना न्यायालय द्वारा सेना अधिनियम की धारा 63 के तहत विचारण किया गया था, वे दर्शित करते हैं कि अपराध कपटपूर्ण प्रकृति के थे इसलिए, अपराधों को कपटपूर्ण प्रकृति के रूप में मानते हुए और विचार करते हुए और उसके बाद नियम 17 के तहत अपीलार्थी को अवसर देने व इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि अपीलार्थी की सेवा को जारी नहीं रखा जा सकता है, उत्तरवादी क्रमांक–3 द्वारा सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियमों के नियम 17 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा से पदच्युत किये जाने का आदेश पारित किया गया है और अपीलार्थी द्वारा याचिका प्रस्तुत किये जाने पर सेना प्रमुख द्वारा सेना अधिनियम की धारा 164 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेवा से पदच्युत किये जाने के उक्त आदेश की पुष्टि की गई है। इसलिए, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत सेवा से पदच्युत किये जाने का आदेश जिसकी पुष्टि सेना प्रमुख द्वारा किया गया हो, को दोहरे दंड के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है।

9. अब जहाँ तक विभाग की ओर से किये गये निवेदन कि बाद में अपीलार्थी को दिनांक 17.04.2001 को कारण बताओ नोटिस दिया गया था,जिसके द्वारा अपीलार्थी को कारण बताने के लिए कहा गया था कि क्यो न उसे नियम 13 (3) आइटम III (v) के तहत सेवा से उन्मोचित कर दिया जाये, जो इस आरोप पर था कि दिनांक 24.04.2000 के कारण बताओ नोटिस के जवाब दिनांक 10.04.2000 में, अपीलार्थी ने गलत और भ्रामक जवाब दिया और उसके बाद जाँच अधिकरण द्वारा जाँच किया गया और उसके बाद यह पाया गया कि अवांछनीय होने के कारण अपीलार्थी की सेवाओं की अब आवश्यकता नहीं है और इसलिए उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद सेवा से उन्मोचन का आदेश पारित किया गया है का प्रश्न है, यह लेख किया जाना आवश्यक है कि सेवा से पदच्युत किये जाने का आदेश जो वर्तमान अपील का विषय है, नियम 13 (3) आइटेम III (v) के तहत पारित नहीं किया गया है। वर्तमान मामले में सेवा से पदच्युत किये जाने का आदेश विशेष रूप से सेना अधिनियम

की धारा 20 सहपाठित सेना नियमों के नियम 17 के तहत पारित किया गया है इसलिए, पदच्युत किये जाने के आदेश का औचित्य जो उपरोक्त आधार पर वर्तमान अपील का विषय है, चलने योग्य नहीं है। यद्यपि, उस समय, और ऊपर बताए गए कारणों के दृष्टिगत,सेवा से पदच्युत किये जाने का आदेश दिनांक 29.04.2002 जो उच्च न्यायालय के समक्ष और यहां तक कि इस न्यायालय के समक्ष भी विनिश्चय विषय था,और जिसे सेना अधिनियम की धारा 20 सहपाठित सेना नियमों के नियम 17 के तहत पारित किया गया था,न्यायसंगत,उचित,विधिक और वैध है और इसमें उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप न करना उचित है। हम उच्च न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय और आदेश में दिये गये अंतिम निष्कर्ष से पूर्णरूप से सहमत हैं।

10. उपरोक्त के दृष्टि मे और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान अपील विफल हो जाती है और खारिज किये जाने योग्य है और तदनुसार खारिज की जाती है ।यद्यपि , मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, वाद व्यय के बारे में कोई आदेश नही दिया गया ।

अपील खारिज

Translated, validated and corrected by
Sangeeta Shrivastava, A.G.–I
(Suvas Cell)
High Court of C.G.